चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

Chola — Enter a better life

कॉर्पोरेट कार्यालयः चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 और सी55, 4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई–600 032 तमिलनाडु

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के प्रावधानों के अंतर्गत,

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (सुरक्षित लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से कहा गया है कि वे संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुका दें। अधोहस्ताक्षरी का उचित रूप से मानना है कि उधारकर्ता(ओं) मांग नोटिस(ओं) की तामील से बच रहा है/रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार चिपकाए जाने और प्रकाशित किए जाने से नोटिस की तामील प्रभावित हो रही है। मांग नोटिस की विषय–वस्तु नीचे उद्धृत है:–

क्रं. सं.	ऋणी/ यों का नाम और पता	ऋण राशि	मांग सूचना की तिथि और बकाया राशि	संपत्ति का विवरण ध्प्रतिभूति संपत्ति
1.	**ऋण खाता संख्याः HL25AMB000095669** **1. श्री/श्रीमती रिंकू पाल** **2. श्री/श्रीमती शंकुतला जे** पताः रामपुर रामपुर 209, पंचकूला, गुगा मारी के पास, पंचकूला – 134204। अन्य स्थानः संपत्ति गाँव रामपुर, तहसील रायपुर रानी, जिला पंचकूला, पिन कोड– 134204 रामपुर, रायपुर, रानी, पंचकूला –134204 में स्थित है।	₹20,000,00/–	29.08.2025 28.08.2025 तक रु. 20,89,070/– (बीस लाख उनासी हजार सत्तर रुपये मात्र)	संपत्ति गांव रामपुर, तहसील रायपुर रानी, जिला पंचकुला, हदबस्त नंबर 209, खेवट/खतौनी 27/27, खसरा नंबर 13//3/1, 3/2, 3/3, 7/2/2, 8, 18//10/2 कित्ते 6 माप 19 कनाल 4 मरला जिसका 156/3840 हिस्सा 15 मरला 6 सरसई है , जो इस प्रकार सीमाबद्ध है हस्तांतरण विलेख संख्या 743 दिनांक 24.08.2023 के अनुसार :उत्तरः भुजा 75 फीट और गली, दक्षिणः भुजा 69 फीट और जागीर सिंह, पूर्वः भुजा 59 फीट और गली, पश्चिमः भुजा 59 फीट और नरेश ।

उधारकर्ता(ओं) को सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना(ओं) का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और भुगतान की वसूली की तिथि तक के खर्चों के साथ करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता(ओं) द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ता(ओं) द्वारा गिरवी रखी गई सुरक्षित संपत्ति(ओं) के कारण अचल संपत्ति/संपत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता(ओं) निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूरा निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो सुरक्षित लेनदार सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके हस्तांतरण करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इतने तक ही सीमित नहीं है। सुरक्षित लेनदार को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्तियों को कुर्क औरध्या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के बाद, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य सुरक्षित लेनदार को देय बकाया राशि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, तो सुरक्षित लेनदार को शेष राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है। यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत सुरक्षित लेनदार को उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

ऋणी(कों) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, और इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 13(13) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत ऋणी(कों) को सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन–देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधि के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। डिमांड नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और ऋणी(कों) यदि चाहें तो इसे अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्य दिवस पर सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

स्थानः पंचकूला, हरियाणा

दिनांकः 29.08.2025

हस्ताक्षरकर्ता/–
प्राधिकृत अधिकारी
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए

AUTHUM
ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 707, रहेजा सेंटर, फ्रीप्रेस जर्नल रोड, नरीमनपॉइंट, मुंबई–400 021 फोनः (022) 6747 2117, फैक्सः (022) 6747 2118, ई–मेलः info@authum.com शाखा पताः–कार्यालय संख्या–1216–1220, 12वीं मंजिल, नौरंग हाउस, प्लॉट संख्या–21, कस्तूरबा गांधी रोड, कॉनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001

मांग सूचना

यहाँ निम्न उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों /बंधककर्ताओं नेऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ("एआईआईएल") (एनसीएलटी के दिनांक 10.05.2024 के आदेश के अनुसार रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड ("आरसीएफएल") से एआईआईएल में ऋणप्रदायक व्यवसाय के विभाजन के परिणामस्वरूप परिणामी कंपनी) से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। हम उद्व्यक्त करते हैं कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उपराँत भी, उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं ने नियत तिथियों के अनुसार के ब्याज और मूलधन राशि के प्रतिभुगतान में विभिन्न चूकें की हैं। अतः खाता को राष्ट्रीय आवासन बैंक द्वारा निर्गत परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित निर्देशों के अनुसार एआईआईएल की बहियों में यहाँ निम्न उल्लिखित संबंधित तिथियों पर अनिष्पादनकारी परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एआईआईएल के प्राधिकृत अधिकारी ने सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत यहाँ निम्न उल्लिखित संबंधित तिथियों पर माँग सूचनायें निर्गत की थीं, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं/ गारंटरों/ बंधककर्ताओं से सूचनाओं में उल्लिखित राशि का सूचनाओं में उल्लिखित राशि पर संविदागत दर पर भावी ब्याज तथा आकस्मिक व्ययों, लागत, शुल्कों इत्यादि के साथ, सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उनके अंतिम ज्ञात पतों पर निर्गत सूचनायें उन्हें प्राप्त हुये बिना ही वापस आ गयी हैं, इसलिए एतद्द्वारा उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उन सूचनाओं के बारे में सूचित किया जाता है।

क्र. सं.	ऋण संख्या /उधारकर्ता का नाम / पता	सह–उधारकर्ता और गारंटर का नाम निदेशक का नाम	एनपीए की तिथि	मांगसूचना की तिथि	बकाया राशि	ऋण राषि
1	**RHAHDEH000054645 / अरुण कुमार, 33 केवी कॉलोनी एच एस ई बी नारायणगढ़ 219, नारायणगढ़, हरियाणा–134203**	**श्रीमती सीमा/ सीमा अरुण कुमार पत्नी अरुण कुमार**	12.03.25	13.08.2025	**रु.23,19,724.14/– (रुपये तेईस लाख उन्नीस हजार सात सौ चौबीस और चौदह पैसे मात्र)**	**रु. 25,00,000/– (रुपये पच्चीस लाख मात्र)**
बंधक संपत्ति का विवरणः खसरा संख्या 274 के भाग का एक आवासीय भूखंड, शेखपुरी (नगर निगम रुड़की के अंदर) परगना और तहसील–रुड़की, जिला–हरिद्वार में स्थित संपत्ति का सम्पूर्ण हिस्सा एवं अंश। भूमि का कुल क्षेत्रफल 887 वर्ग फुट है, परिबद्धः उत्तर में नाथीराम के भूखंड, दक्षिण में 12''डब्ल्यूडी रोड,पूर्व में अन्य के भूखंड, पश्चिम में प्रथम पक्ष/विक्रेता के भूखंड ।						

उपर्युक्त परिस्थितियों में, एतद्द्वारा उपरोक्त उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं और / या उनके गारंटरों (जहां भी लागू हो) को सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज और लागू शुल्कों के साथ ऊपर अंकितानुसार बकाया राशि का भुगतान करें, अन्यथा इस सूचना की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति के बाद प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिस कार्रवाई में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) तथा उसके अंतर्गत विरचित प्रयोज्य नियमावली के अंतर्गत उधारकर्ताओं और बंधककर्ताओं की प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना सम्मिलित है।

कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अंतर्गत, कोई भी उधारकर्ता, प्रतिभूत ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, सूचना में संदर्भित अपनी किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति को विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्ताँतरित नहीं करेगा।

दिनाँक : 06/09/2025
स्थान : उत्तराखंड

प्राधिकृत अधिकारी
ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION PVT LTD.

पंजीकृत कार्यालय : 9, एम.पी. नगर, प्रथम तल, कोंगू नगर एक्सटेंशन, तिरुपुर–641607
कॉर्पोरेट कार्यालय : कोहिनूर स्क्वैयर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुम्बई–400028 दूरभाषः 022–69231111, सीआईएन : U67100TZ2014PTC020363

प्रतिभूति हित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल एवं चल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जिसका भौतिक कब्जा इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (आईआरएपीएल) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल) को नीचे उल्लिखित संबंधित कर्जदार और सह–कर्जदार(रों), गारंटर/बंधककर्ताओं से प्रतिभूत लेनदार के रूप में देय 31.07.2025 तक रु. 1,76,50,813 /– (रुपये एक करोड़ छिहत्तर लाख पचास हजार आठ सौ तेरह मात्र) की वसूली के लिए **''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' और ''आश्रय रहित आधार पर''** पर बेचा जाएगा। हैं। संबंधित संपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य और जमा धरोहर राशि नीचे संबंधित कॉलम में उल्लिखित की गई है। रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (मूल ऋणदाता) ने 05.11.2019 को नीचे उल्लिखित कर्जदारों का ऋण आईआरएपीएल को सौंप दिया था, जो इंडिया रिसर्जेंस एआरसी ट्रस्ट कक्र का ट्रस्टी है। इसके अलावा, दिनांक 16.08.2024 के प्रतिभूति रसीद क्रय समझौते के तहत, ओएआरपीएल अब आईआरएपीएल के स्थान पर इंडिया रिसर्जेंस एआरसी ट्रस्ट कक्र का नया ट्रस्टी बन गया है और अब वह समनुदेशक की भूमिका में आ गया है और बकाया राशि वसूलने तथा प्रतिभूति लागू करने के लिए अधिकृत है।

कर्जदार/सह–कर्जदार /गारंटर/ बंधककर्ता	सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) एवं 13(4) के तहत मांग सूचना की तिथि	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	ईएमडी (रु. में)	निरीक्षण की तिथि/समय
कर्जदारः– मैसर्स अभिनव सेल्स कंपनी के कर्जदारः–अभिनव सिंघवी, निर्मला सिंघवी, तिरूपति मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, अनुज सिंघवी, अशोक कुमार जैन,	13(2) सूचना 10.06.2020 को जारी की गयी 13(4) भौतिक कब्जा 26.06.2024 को लिया गया	प्लॉट संख्या 6, हिल व्यू फार्म हाउस योजना, ग्राम पहाड़िया, रानवाल, तहसील–फागी, जिला–जयपुर, राजस्थान का समस्त भाग, क्षेत्रफल 2996.66 वर्ग गज। सीमाएँ इस प्रकार हैंः उत्तरः सार्वजनिक सड़क, दक्षिणः अन्य भूमि, पूर्वः प्लॉट संख्या 5, पश्चिमः क्लब।	रु. 35,00,000/-	रु. 3,50,000/-	11.09.2025 को 12:00 बजे अप. से 02:00 बजे अप.

टिप्पणी : कोई ऋणभार ज्ञात नहीं

नीलामी के नियम एवं शर्तेंः

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया http://omkaraarc.com/auction.php और/या https://www.auctionbazaar.com/ पर दिए गए लिंक को देखें। नीलामी ओएआरपीएल के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। बोली जमा करने की अंतिम तिथि (ऑनलाइन और हार्ड कॉपी में) ईएमडी (मूल रूप में डीडी/पे ऑर्डर या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषण) के साथ 24.09.2025 शाम 5:00 बजे तक है। इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दिया है और जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई–बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे ई–नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स आर्का ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, सपोर्ट लैंडलाइन नंबर/मोबाइल नंबरः 8370969696, ई–मेल : contact@auctionbazaar.com/ support@auctionbazaar.com से संपर्क कर सकते हैं, संबंधित व्यक्तिः श्रीमती एम. किरणमई, मोबाइल नं. 7997043999, ईमेल– kiran@auctionbazaar.com और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए प्राधिकृत अधिकारी, श्री हर्षवर्धन कदम (मोः 9819058003) मेलः harshwardhan.kadam@omkaraarc.com से संपर्क करें।

ईएमडी का भुगतान	बोली जमा करने की तिथि	ई–नीलामी की तिथि और समय	न्यूनतम बोली वृद्धि राशि
24/09/2025 को 5:00 बजे अप. तक	24/09/2025 को 5:00 बजे अप. तक	25/09/2025 को 11:00 बजे पूर्वा. से 12:00 बजे अप.	रु. 35,000/- (रुपये पैंतीस हजार मात्र)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) और अंतर्गत बिक्री हेतु वैधानिक नोटिस।

यह नोटिस प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित 8(6) और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत कर्जदार(रों) के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का एक अनिवार्य नोटिस भी है, जिसमें उन्हें उपरोक्त तिथि और समय पर ई–नीलामी के माध्यम से नीलामी/बिक्री के आयोजन की सूचना दी जाती है और साथ ही यह सलाह भी दी जाती है कि यदि वे चाहें तो लागत और व्यय सहित ऊपर उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान करके आस्तियों को छुड़ा सकते हैं। भुगतान में चूक की स्थिति में, प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति लेनदार के विवेक पर संपत्ति को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) में निर्धारित किसी भी तरीके से बेचा जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाताओं को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 की धारा 29ए के तहत घोषणा करनी होगी।

हस्ता./–, प्राधिकृत अधिकारी, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
दिनांकः 05.09.2025, स्थान : मुम्बई
(इंडिया रिसर्जेंस एआरसी ट्रस्ट कक्र के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)

चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

Chola — Enter a better life

निगमित कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 एवं सी55, 4, थिरू वि का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई – 600 032, तमिलनाडु

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता, अधिनियम के अंतर्गत चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (प्रतिभूत ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा अधिनियम की धारा 13(12) के साथ नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। अधोहस्ताक्षरकर्ता का यह मानना है कि उधारकर्ता/गण मांग सूचना/ओं की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार सूचना को चिपकाने और प्रकाशित करने से सूचना की तामील की जा रही है। मांग सूचना/ओं की विषय–वस्तु नीचे उद्धृत है :–

क्र. सं.	उधारकर्ता/ओं तथा सह–उधारकर्ता/ओं के नाम तथा पते	ऋण राशि	मांग सूचना की तिथि तथा बकाया राशि	संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण
1.	**ऋण खाता संख्या : HL25KAI000072562** **1. श्री/श्रीमती कुलदीप राजकुमार 2. श्री/श्रीमती नेहा कुलदीप 3. श्री/श्रीमती राजकुमार रामदिया** **पता :–** पुत्र राजकुमार, भाना ब्राह्मणा, भाना बहहमन, भाना ब्राह्मणा 41, जींद, हरियाणा, एनए नरवाना – 126116 **अन्य पता :** परशुराम धर्मशाला के पास घर जो गाँव – भाना ब्राह्मणा, तहसील – नरवाना, जींद, भाना ब्राह्मणा, नरवाना, जींद, हरियाणा – 126116 में स्थित है।	रु. 20,00,000/–	**29.08.2025** **रु. 20,81,768/–** (रुपये बीस लाख इक्यासी हजार सात सौ अड़सठ मात्र) **28.08.2025** के अनुसार	क्षेत्रफल 302.5 वर्ग गज अर्थात 00 कनाल 10 मरला माप की भूमि, जो कुल 02 कनाल 00 मरला माप की भूमि का 1/4वां हिस्सा है जिसमें खेवट और खाता संख्या 128/251 खसरा संख्या 246(1–9), 427/1(0–5), 453(0–6) समाहित है, जो वर्ष 2017–2018 की जमाबंदी के अनुसार गाँव भाना ब्राह्मण, तहसील नरवाना, जिला जींद में स्थित है।
2.	**ऋण खाता संख्या : LAP4POA000143802** 1. श्री/श्रीमती करनैल सिंह 2. श्री/श्रीमती कृष्णा देवी 3. श्री/श्रीमती गुरनाम सिंह **पता :** दसेरपुर, पो, दसेरपुर, टावर के पास, कैथल, हरियाणा – 136035, **पता यहां भी :** ग्राम दसेरपुर, तहसील गुहाला, जिला कैथल, हरियाणा, दसेरपुर, गुहाला, कैथल, हरियाणा – 136035 में स्थित संपत्ति।	रु. 27,00,000/–	**29.08.2025** **रु. 28,65,477/–** (रुपये अट्ठाईस लाख पैंसठ हजार चार सौ सतहत्तर मात्र) **28.08.2025** के अनुसार	00 कनाल 10.4 मरला का क्षेत्रफल जो कुल भूमि माप का 1/2वां हिस्सा है जो 01 कनाल 01 मरला, खेवट संख्या 43, खतौनी संख्या 64, किता–2 में समाहित है, जो वर्ष 2019–2020 की जमाबंदी के अनुसार पंजीकृत हस्तांतरण विलेख संख्या 534/1 दिनांक 18.05.2016 और म्यूटेशन संख्या 1090 के अनुसार पंजीकृत है।
3.	**ऋण खाता संख्या : HL05ROH000056925** **1. श्री/श्रीमती प्रमोद कुमारी** **2. श्री/श्रीमती सतपाल सिंह** **पता :–** मकान नंबर 94/1, कलानौर कलां, भाग 126, कलानौर कलां, भाग 126 रोहतक – 124113, **अन्य पता :** खेवट नंबर 771, खतौनी नंबर 845, किला नंबर 196//8/2/1(3–4), 13(8–0), 18(8–0) / संपत्ति जो रविदास मंदिर के निकट, कलानौर, रोहतक कलानौर कलानौर रोहतक – 124113 हरियाणा, रविदास मंदिर के समीप, रोहतक – 124113 में स्थित है।	रु. 22,00,000/–	**29.08.2025** **रु. 23,58,147/–** (रुपये तेईस लाख अट्ठावन हजार एक सौ सैंतालीस मात्र) **28.08.2025** के अनुसार	खेवट संख्या 771, खतौनी संख्या 845 किला संख्या 196/8/2/1 (3–4), 13(8–0), 18 (8–0) कित्ते 3 माप, कुल माप 19 कनाल 4 मरला हिस्सा :– 8595/3, 84000, माप 8.595 मरला अर्थात 260 वर्ग गज, के साथ मौजा कलानौर कलां, तहसील कलानौर, जिला रोहतक में स्थित संपत्ति दाखिल–खारिज संख्या 12913 और बिक्री विलेख सं. 2598 दिनांक 16.03.2021 के साथ। सीमाएँ :– पूर्वः 20 फीट गली, पश्चिमः 20 फीट गली, उत्तरः 20 फीट गली, दक्षिणः 78 फीट प्लॉट पप्पू का।
4.	**ऋण खाता संख्या : LAP1MEE000088154** **1. श्री/श्रीमती पदम सिंह, 2. श्री/श्रीमती कांता कांता 3. श्री/श्रीमती सुषमा देवी** **पता :–** पुत्र एफ. तेजपाल सिंह 706 जी फ्लोर नई बस्ती के पास, इजयपाल माजरा रोड शामली शामली ग्रामीण शामली उत्तर प्रदेश – 247776, शामली मुजफ्फरनगर – 247776, **अन्य पता :** एक आवासीय सह वाणिज्यिक संपत्ति जो माजरा रोड नई बस्ती शामली जिला शामली उत्तर प्रदेश – 247776 में स्थित है।	रु. 25,00,000/–	**29.08.2025** **रु. 26,16,310/–** (रुपये छब्बीस लाख सोलह हजार तीन सौ दस मात्र) **28.08.2025** के अनुसार	एक आवासीय संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 338.61 वर्ग मीटर और 283.11 वर्ग मीटर है, जो खसरा संख्या 52, ग्राम– बली, परगना किठौर, तहसील– मवाना और जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित है, सीमायें :– पूर्वः महेंद्र का मकान, पश्चिमः नवाब का मकान, उत्तरः विपिन का खेट, दक्षिणः 20 फीट चौड़ी सड़क।

उधारकर्ता(ओं) को सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना(ओं) का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और भुगतान की वसूली की तिथि तक के खर्चों के साथ करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता(ओं) द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ता(ओं) द्वारा गिरवी रखी गई सुरक्षित संपत्ति(ओं) के कारण अचल संपत्ति/संपत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता(ओं) निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूरा निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो सुरक्षित लेनदार सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके हस्तांतरण करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इतने तक ही सीमित नहीं है। सुरक्षित लेनदार को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्तियों को कुर्क और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के बाद, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य सुरक्षित लेनदार को देय बकाया राशि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, तो सुरक्षित लेनदार को शेष राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है। यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत सुरक्षित लेनदार को उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

ऋणकर्ता(कों) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जहाँ सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए समय उपलब्ध है, और इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 13(13) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत ऋणकर्ता(कों) को सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन–देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का पालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। डिमांड नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और ऋणकर्ता(कों) यदि चाहें तो इसे अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्यदिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : जींद / कैथल / रोहतक / मेरठ
दिनाँक : 29–08–2025

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
कृते चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

SBFC

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 103, प्रथम तल, सी एण्ड बी स्क्वॉयर, संगम कॉम्प्लेक्स, सीटीएस नं. 95ए, 127, अंधेरी कुर्ला रोड, ग्राम चकला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई– 400059,
दूरभाष : +91 2267875300, **फैक्स :** +91 2267875334
www.SBFC.com, **निगमित पहचान संख्या :** U67190MH2008PTC178270

सार्वजनिक सूचना

जनता को यह सूचित करना है कि गिरवीकृत स्वर्णाभूषणों की नीलामी का संचालन एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड द्वारा 23–09–2025 को प्रातः 10.30 बजे निम्न वर्णित शाखा पते पर किया जायेगा। हमारे अनेक उपभोक्तागण जो कि अपनी बकाया देयराशियों का भुगतान करने में विफल हो चुके हैं, उनके ऋण खातों से संबंधित स्वर्णाभूषण नीलाम किये जाने हैं। नीलामी की हमारी सूचनायें इन उधारकर्ताओं को विधिवत ढंग से निर्गत की गयी हैं। शाखा नाम के साथ निम्न वर्णित हमारे अनेक उपभोक्तागणों के अतिदेय ऋण खातों से संबंधित स्वर्णाभूषण नीलाम किये जाने हैं।

अजमेर शाखा का पताः एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, यूनिट संख्या 2, दूसरी मंजिल, दीपक टावर, एलआईसी कार्यालय के पास, कचहरी रोड, अजमेर, राजस्थान–305 001, अजमेर, **AP00205721, AP00532229, AP00565487, AP00664708, AP00677512, AP00688435**
भीलवाड़ा शाखा का पताः एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, दुकान संख्या 2, बी–ब्लॉक, पहली मंजिल। एसके पल्ज़ा, पुर रोड, भीलवाड़ा, राजस्थान, पिन कोडः 311001, भीलवाड़ा, **AP00338942, AP00364108, AP00401906, AP00538549, AP00540616, AP00565770, AP00577038, AP00586864, AP00666701, AP00674209, AP00681689, AP00699572, AP00716155**
जयपुर शाखा पताः एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, दुकान संख्या 72, खातीपुरा रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जोतवाड़ा, जयपुर–302012, जोतवाड़ा जयपुर, **AP00167498, AP00304719, AP00341744, AP00414020, AP00546495, AP00567194, AP00626467, AP00640090**
झुंझुनू शाखा पताः एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, दुकान संख्या एफ–1, प्रथम तल, रामेश्वरम प्लॉट, मोहल्ला बिंदु कियान, वार्ड संख्या 2, स्टेशन रोड, झुंझुनू राजस्थान पिन कोड 333001, झुंझुनू, **AP00369798, AP00459428, AP00585479, AP00601902, AP00615124, AP00688125, AP00691542**
जोधपुर शाखा पताः एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, प्रथम तल, प्लॉट संख्या 47, माधव टावर, चोपासनी रोड, उमराव खान पेट्रोल पंप, उज्जीवन स्मॉल बैंक के ऊपर, जोधपुर–342003, जोधपुर, **AP00447505, AP00448799, AP00493700, AP00497530, AP00528879, AP00538772, AP00555467, AP00559422, AP00578066, AP00583989, AP00584334, AP00614890, AP00647781, AP00665346, AP00670838, AP00676367, AP00678392, AP00679570, AP00682466, AP00682628, AP00685830, AP00686458, AP00687480, AP00758763**

अधिक विवरणों के लिये कृपया एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड से संपर्क करें, संपर्क नंबर : 18001028012 (एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के पास नीलाम किये जानेवाले खातों की संख्या में परिवर्तन करने तथा / किसी पूर्व सूचना के बिना नीलामी को स्थगित / निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है)।

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

VASTU HOUSING FINANCE

यूनिट 203 एवं 204, द्वितीय तल, ''ए'' स्कंध, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंडर मार्ग, सेवरी (पश्चिम), मुंबई– 400015, महाराष्ट्र, सीआईएन नं: U65922MH2005PLC272501

2002 के प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत माँग सूचना

जबकि, वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने प्रधान कार्यालय मुंबई के माध्यम से निम्न वर्णित उन ऋणकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं को सूचना निर्गत की थी जो वीएचएफसीएल से अपने द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के मूलधन के प्रतिभुगतान तथा ब्याज के भुगतान में चूक कर चुके हैं तथा उक्त सुविधाएं अनिष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ बन चुकी हैं। उन्हें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पतों पर सूचनाएं निर्गत की गई थीं, जो प्राप्तकर्ताओं को प्राप्त हुए बिना ही वापस लौट आई थीं तथा इसीलिए एतद्द्वारा उन्हें उन सूचनाओं के बारे में इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

ऋणकर्ता, सह–ऋणकर्ता का नाम तथा ऋण खाता संख्या	धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत माँग सूचना की तिथि एवं राशि	बंधककृत संपत्ति का विवरण
मुकेश चंद (आवेदक), श्रीमती उर्मिला देवी (सह–ऋणकर्ता) LP0000000051262	22–मई–25 रु. 916308/– 13–मई–25 के अनुसार, राशि पर भावी ब्याज एवं शुल्क	100 वर्ग गज यानी 83.66 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला आवासीय भूखंड, खसरा संख्या 1292/108 में से, राधा नगर गढ़ी जीवा राम, गाँव नरायच, तहसील एत्मादपुर, जिला आगरा – 283202 में स्थित, सीमा :– उत्तर– रास्ता 25 फीट चौड़ा, दक्षिण– रास्ता 15 फीट चौड़ा, पूर्व– श्रीमती राधा का भूखंड, पश्चिम– श्री रमेश चंद्र का मकान
मंजू झा (आवेदक), श्री किशन चंद्र झा (सह–ऋणकर्ता), श्री संजू शर्मा (सह–ऋणकर्ता) MHL000000126012	22–मई–25 रु. 407088/– 13–मई–25 के अनुसार, राशि पर भावी ब्याज एवं शुल्क	संपत्ति अर्थात 55.18 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली भूमि पर स्थित संपत्ति पुरानी अवादी मौजा – धनौली तहसील और जिला आगरा – 282001 में स्थित है, सीमा :– उत्तर– रास्ता और निकास 5 फीट, दक्षिण– श्याम सुंदर का प्लॉट, पूर्व– राम खन्हिया का प्लॉट, पश्चिम– बंटी का प्लॉट
ज्योतिष शर्मा (आवेदक), श्रीमती मालोदा (सह–ऋणकर्ता), श्री महेश (सह–ऋणकर्ता), श्री ओमवीर सिंह (गारंटर) MLP000000208141	22–मई–25 रु. 855599/– 13–मई–25 के अनुसार, राशि पर भावी ब्याज एवं शुल्क	संपत्ति अर्थात 154.41 वर्ग गज या 129.10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला मकान, मौजा नौबारी, तहसील और जिला आगरा– 283125 में स्थित, सीमा :– उत्तर– गुलाब सिंह यादव का मकान, दक्षिण– सुरेश पंडित जी का मकान, पूर्व– सुरेश पंडित जी का मकान, पश्चिम– 12 फीट चौड़ा रास्ता और निकास द्वार

आपको सूचना प्राप्त हो, इस हेतु वैकल्पिक सेवागत उपाय किए जा रहे हैं। उपरोक्त ऋणकर्ताओं, सह–ऋणकर्ताओं तथा / अथवा उनके गारंटरों (जहाँ कहीं लागू हो) को सलाह दी जाती है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों के अंदर बकाया राशि का भुगतान कर दें। बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर इस सूचना की तिथि के 60 दिवसों के समापन के उपरांत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधान के अनुसार आगे की कार्रवाइयाँ की जाएंगी।
कृपया यह सूचना प्राप्त करें कि उक्त सूचना धारा 13(13) के अंतर्गत भी है, जो ऋणकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं को यह सूचित करने के लिए है कि उक्त बंधककृत संपत्ति का विक्रय नहीं किया जाना चाहिए / उसे पट्टे पर नहीं दिया जाना चाहिए तथा उसका हस्ताँतरण नहीं किया जाना चाहिए।

दिनाँक : 06–09–2025
स्थान : आगरा

प्राधिकृत अधिकारी,
वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

YES BANK

पंजीकृत कार्यालयः 15वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड टावर नोएडा ऑफिस, उत्तर प्रदेश, भारत। –
शाखा कार्यालयः प्लॉट 1/9, दूसरी मंजिल, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली–110008 **वेबः** www.yesbank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित

एततद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, गारंटर तथा बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका भौतिक कब्जा यस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी अर्थात् सुरक्षित ऋणदाता द्वारा ले लिया गया है, को नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, गारंटर तथा बंधककर्ताओं से सुरक्षित ऋणदाता को देय नीचे उल्लिखित बकाया राशि की वसूली के लिए **24 सितम्बर 2025** को **''जहां है, जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी है''** के आधार पर बेचा जाएगा।

क्र. सं.	उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता, गारंटर का नाम	मांग सूचना की राशि	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य रु.)	बयाना राशि जमा (रु.)
1.	**(1) श्री विकास त्यागी** (उधारकर्ता) और **(2) श्रीमती संगीता त्यागी** (सह– उधारकर्ता)	24,15,452.63/– रुपये (चौबीस लाख पंद्रह हजार चार सौ बावन रुपये और तिरसठ पैसे) 30–जनवरी–2024 तक	संपत्ति संख्या –बी .एच.– 245, सेक्टर–12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्र 201009, छत सहित दूसरा पूरा तल। सीमाः उत्तर–244, दक्षिण– प्लॉट संख्या–246, पूर्व– प्लॉट संख्या–263, पश्चिम– 9एम सड़क। बधंककर्ता : श्री विकास त्यागी और श्रीमती संगीता त्यागी	17,91,335/– रुपये (सत्रह लाख इक्यान्नवे हजार तीन सौ पैंतीस रुपये)	1,79,133.5/– रुपये (एक लाख उनासी हजार एक सौ तैंतीस रुपये और पांच पैसे)
2.	**(1) श्री जेगम अब्बास** (उधारकर्ता) और **(2) श्री मोहम्मद अब्बास** (सह– उधारकर्ता)	रूपये 30,38,064.18/– (केवल तीस लाख, अड़तीस हजार, चौंसठ रुपये और अठारह पैसे) 23 अप्रैल 2024 तक	फ्लैट नंबर यूजीएफ–2, ऊपरी ग्राउंड फ्लोर, एचआईजी , प्लॉट नंबर बी–5/14, डीएलएफ अंकुर विहार, गांव सदुल्लाबाद, परगना–लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201005 बधंककर्ता : श्री जेगम अब्बास	19,74,315/– रुपये (केवल उन्नीस लाख, चौहत्तर हजार, तीन सौ पंद्रह रुपये)	1,97,431.5/– रुपये (केवल एक लाख, संतानबें हजार, चार सौ इकतीस रुपये और पाँच पैसे)

ई–नीलामी की तिथि और समयः 24 सितम्बर 2025, सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार
बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 22 सितम्बर 2025 को शाम 5.00 बजे तक।
संपत्ति निरीक्षण की तिथिः 20 सितंबर 2025, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2 बजे तक।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.yesbank.in/about-us/media/auction-property-Secured Creditor की वेबसाइट यानी **www.yesbank.in** या **https://sarfaesi.auctiontiger.net** पर दिए गए लिंक को देखें।
निविदा दस्तावेज/ई–बिडिंग कैटलॉग या अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों के निरीक्षण और प्रश्नों को प्राप्त करने में किसी भी कठिनाई के मामले में, कृपया यस बैंक लिमिटेड के संबंधित अधिकारियों, के संबंधित अधिकारी श्री अमनदीप सिंह से +919711154546 पर **संपर्क करें या ईमेल करेंः amandeep.singh28@yesbank.in और अहमदाबाद स्थित ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के अधिकारियों से संपर्क करें।**
वेब पोर्टल का पताः https://sarfaesi.auctiontiger.net बिडर सपोर्ट नंबरः +919265562821, 118 – 9978591888, 079–68136880, 168136837.
ईमेलः support@auctiontiger.net और ramprasad@auctiontiger.net. संपर्क व्यक्तिः श्री राम शर्मा – 9978591888. पर संपर्क करें।

उधारकर्ता/गारंटरओं /बधंककर्ता को बिक्री नोटिस

उपरोक्त को सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पढ़ा जाने वाला नियम 9(1) के तहत नोटिस माना जाएगा। इसमें ऋणी को प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

दिनांक : 06-09-2025 स्थानः गाजियाबाद

हस्ता/–प्राधिकृत अधिकारी

ई–नीलामी सह विक्रय की सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट–IV ए) [नियम 8(6)]

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरान्त "अधिनियम") के अंतर्गत, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल–एचएफएल) निगमित कार्यालय : भूखंड सं. 98, उद्योग विहार, फेज–IV, गुड़गांव–122015 (हरियाणा), शाखा कार्यालय :– "306, तीसरी मंजिल, साईं स्क्वायर, भार्गव एस्टेट, सिविल लाइन्स, कानपुर–208001" / प्रथम मंजिल, एल्डिको कॉर्पोरेट चैंबर्स –1, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ 226010" के पास बंधककृत अचल सम्पत्ति का विक्रय। जबकि आईआईएफएल–एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ('एओ') ने आईआईएफएल–एचएफएल की देयराशियों की वसूली हेतु निम्नलिखित सम्पत्ति/यों का **"जैसी है जहां है आधार एवं जैसी है जो है आधार तथा बिना वसूली आधार"** पर विक्रय करने के एकाधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खातों/प्रोस्पेक्ट नंबरों के तहत अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना के अनुपालन में उनका अधिग्रहण कर लिया था। विक्रय जो है, वह अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइट : **www.iiflonehome.com** पर उपलब्ध ई–नीलामी मंच के माध्यम से किया जाएगा।

ऋणकर्ता(ओं) / सह–ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के नाम	माँग सूचना तिथि एवं राशि	अचल संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण	सांकेतिक अधिग्रहण की तिथि	आरक्षित मूल्य
1. श्री अक्षत गोयल 2. श्रीमती माधुरी गोयल **(प्रॉस्पेक्ट नं. 845210)**	**24–जुलाई–2019 रु. 15,66,450/–** (रुपये पंद्रह लाख छियासठ हजार चार सौ पचास मात्र) **बोली वृद्धि राशि रु. 20,000/–** (रुपये बीस हजार मात्र)	अराजी संख्या 455, पुरवा नानकारी, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश, 208017, क्षेत्रफल 102.42 वर्ग मीटर, वाली संपत्ति का वह पूरा हिस्सा।	**18 अक्टूबर 2019** **08 अगस्त 2024 तक कुल बकाया राशि** रु. 26,79,925/– (रुपये छब्बीस लाख उनासी हजार नौ सौ पच्चीस मात्र)	**रु. 4,00,000/–** (रुपये चार लाख मात्र) **बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 40,000/–** (रुपये चालीस हजार मात्र)
1. खावर आजम 2. फरहाना अख्तर **(प्रॉस्पेक्ट नं. 873568)**	**13–अप्रैल–2022 रु. 17,27,738.31/–** (रुपये सत्रह लाख सत्ताईस हजार सात सौ अड़तीस और इकतीस पैसे मात्र) **बोली वृद्धि राशि रु. 40,000/–** (रुपये चालीस हजार मात्र)	खसरा संख्या 45 का गिजुमता, मिज़ापुर मल्हौर, लखनऊ, 226001, उत्तर प्रदेश, भारत से उत्पन्न 173.327 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला भूखंड के समस्त भाग तथा अंश। (भूमि क्षेत्रफल 2587 वर्ग फुट)	**भौतिक कब्जा की तिथि** **27 जून 2024** **08 अगस्त 2025 तक कुल बकाया राशि रु. 17,42,962/– (रुपये सत्रह लाख बयालीस हजार नौ सौ बासठ मात्र)**	**रु. 27,00,000/–** (रुपये सत्ताईस लाख मात्र) **बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 2,70,000/–** (रुपये दो लाख सत्तर हजार मात्र)

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि	धराज अंतिम तिथि	ई–नीलामी की तिथि/समय
17–09–2025 को 11:00 बजे–14:00 बजे	19–09–2025 सायं 5 बजे तक	22–09–2025 को 11:00 बजे–13:00 बजे

भुगतान का माध्यम : धराज भुगतानों को मात्र ऑनलाइन विधि द्वारा किया जाना है। भुगतान करने के लिये आपको https://www.iiflonehome.com पर विजिट करना होगा और मात्र संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति हेतु उपलब्ध लिंक के माध्यम से ही भुगतान करना होगा। टिप्पणी : प्रत्येक संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति के लिये भुगतान लिंक पृथक है। सुनिश्चित करें कि आप उसी संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं, जिसे आपने सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदने का इरादा किया है। शेष भुगतान के लिये – यहाँ लॉगिन करें – https://www.iiflonehome.com >My Bid >Pay Balance Amount.

नियम एवं शर्तें :–

1. ई–नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे अपने विवरणों को पर्याप्त समय पूर्व सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://www.iiflonehome.com** के साथ पंजीकृत कर लें और उन्हें इस हेतु लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी व पासवर्ड सृजित करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपने "निविदा प्रपत्र", धराज के भुगतान विवरणों, केवाईसी एवं पैन कार्ड की प्रतियों के साथ ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय में प्रस्तुत/प्रेषित करने होंगे।
2. बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव को, स्तंभ "बोली वृद्धि राशि" के अंतर्गत अंकित राशि के गुणक में बढ़ाना होगा। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनटों में बोलीदान किया जाता है तो समापन समय 5 मिनटों के लिए स्वतः ही बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (धराज का समायोजन करने के उपरान्त) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी तथा बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत रकम प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय की अभिपुष्टि किए जाने की तिथि से 15 दिवसों के अंदर जमा करनी होगी। समस्त जमाएं तथा भुगतान जो हैं, वो भुगतान के निर्धारित प्रारूप के तहत किए जाएंगे।
4. क्रेता को सम्पत्ति से संबंधित समस्त करों एवं दरों लागतों सहित उपकर, लागू स्टांप शुल्क, शुल्कों एवं किसी अन्य सांविधानिक देयराशि अथवा अन्य देयताओं जैसे नगर निगम कर, विद्युत प्रभारों, भूमि एवं समस्त अन्य आकस्मिक लागतों, प्रभारों का भुगतान वहन करना होगा।
5. क्रेता को लेनदेन की टीडीएस एप्लिकेशन का भुगतान/विक्रय राशि का भुगतान करना होगा तथा टीडीएस प्रमाणपत्र आईआईएफएल एचएफएल के पास प्रस्तुत करना होगा।
6. बोलीदाताओं को सलाह है कि वे ई–नीलामी विक्रय कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अपनी बोलियां जमा करने से पहले नीलामी विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा नीलामी आवेदन प्रपत्र हेतु वेबसाइट **https://www.iiflonehome.com** एवं **https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction** देख लें।
7. विवरणों, सहायता प्रक्रिया तथा ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए प्रस्तावित बोलीदातागण जो हैं, वे सेवा प्रदाता से ई–मेल आईडी **care@iiflonehome.com**, सहायता हेल्पलाइन नंबरों रु. 1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं।
8. सम्पत्ति विवरणों, संपत्ति के निरीक्षण तथा ऑनलाइन बोली इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रश्न/पूछताछ के लिए आईआईएफएल एचएफएल को टोल फ्री नं. 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9.30 बजे से लेकर के सायं 18.00 बजे के मध्य कॉल करें अथवा ई–मेल : **care@iiflonehome.com** पर मेल लिखें।
9. एतद्द्वारा उपरोक्त ऋणकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे उन घरेलू वस्तुओं को 7 दिवसों के अंदर एकत्र कर लें, जो भौतिक अधिग्रहण किये जाने के समय पर प्रतिभूत परिसम्पत्ति स्थल पर पड़ी हुई होंगी, अन्यथा आईआईएफएल–एचएफएल किसी भी परिस्थिति में सम्पत्ति की किसी हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगी।
10. एतद्द्वारा उधारकर्ता/ओं को आगे यह सूचित किया जाता है कि यदि वे उक्त वस्तुओं को उठाने/समेटने में विफल रहते हैं तो उन्हें विधि–व्यवस्था के अनुसार बेच दिया जायेगा।
11. उपरोक्त अनुबंधित समय के अंदर सफल बोलीदाता / नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भुगतान में चूक किए जाने की स्थिति में, विक्रय निरस्त कर दिया जाएगा तथा पहले चुकता की गई राशि (धराज सहित) को जब्त कर लिया जाएगा तथा सम्पत्ति को फिर से बेचने के लिए रख दिया जाएगा।
12. एओ के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे बिना कोई कारण बताए ही निविदा/नीलामी के नियमों एवं शर्तों को स्थगित/निरस्त कर सकते हैं अथवा उन्हें बदल सकते हैं। निविदा/नीलामी में किसी विवाद की स्थिति में आईआईएफएल–एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 9 उप–नियम (1) के अंतर्गत 15 दिवसीय विक्रय सूचना

ऋणकर्ता को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे निविदा / नीलामी की तिथि से पूर्व ऊपर अंकितानुसार राशि का अद्यतनीकृत ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर, संपत्ति की नीलामी की जाएगी / उसे बेच दिया जाएगा तथा शेष देयराशियां, यदि कोई निकलती हो, की वसूली ब्याज एवं लागत के साथ की जायेगी।

स्थान : कानपुर नगर, लखनऊ / दिनाँक : 06–09–2025

हस्ता /– प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 09, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली – 110057
फोनः 011 49267000, टोल फ्री नंबरः 1800 212 8800, ईमेलः customer.care@herohfl.com,
वेबसाइटः www.herohousingfinance.com, CIN: U65192DL2016PLC30148
संपर्क पताः अपर ग्राउंड फ्लोर, एसआरएस स्क्वायर, प्लॉट नं.-679-680, मोहन पार्क, दिल्ली रोड, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201204

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ पठित नियम 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित ऋणधारकों को 60 दिनों की अवधि में अपनी बकाया राशि चुकाने हेतु मांग सूचना जारी किया था। ऋणधारक बकाया राशि का भुगतान करने में विफल, रहे, अतः इस सूचना के माध्यम से एतद्द्वारा विशेष रूप से ऋणधारक एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियम के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारक एवं आम जनता को सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें और संपत्ति का कोई भी लेन-देन बकाया राशि तथा नीचे वर्णित तिथि से ब्याज, दंड शुल्क, चार्जेस, लागत इत्यादि के लिये हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

ऋण खाता संख्या	देनदार/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि का नाम	मांग सूचना तिथि/ मांग सूचना के अनुसार राशि	कब्जा तिथि (प्रतीकात्मक/ भौतिक)
HHFMODLAP 24000054014	ममता, पत्नी मुकेश, मुकेश, पुत्र सदान सिंह	10.06.2025 रु. 475031/– 10.06.2025 को	02.09.2025 (प्रतीकात्मक)

प्रतिभूत आस्तियों/अचल संपत्तियों का विवरणः 48.84 वर्ग गज यानी 40.84 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला मकान, जो खसरा नं. 595, गांव-सिकरी खुर्द जलालपुर, तहसील-मोदी नगर, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश-201204 में बना है, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैंः पूर्वः प्रमोद का प्लॉट, पश्चिमः 18 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः प्रेम लता का प्लॉट, दक्षिणः दूसरों की संपत्ति

दिनांकः 06.09.2025
स्थानः मोदीनगर

हस्ता/-
हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए अधिकृत अधिकारी

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167-169, 2री मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015
शाखा कार्यालयः एफ 8, 1ली मंजिल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, सेक्टर 4, वैशाली, गाजियाबाद, 201019;
ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com

आरआरएम - अमित कौशिक * एआरएम - शशि मिश्रा
सीएलएम - सत्यम गुप्ता, मो. नं. 8006600745 * सीएलएम - निखिल नारायण अरोड़ा - 9079634624

अचल संपत्ति के भौतिक कब्जे की सार्वजनिक सूचना

सेवा में, 1. श्री अमन 2. श्रीमती मुनेश देवी
दोनोंः लाडपुरा, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत–203202
लेन सं.: DL/NCU/NOIU/A000001344
जैसाकि, जिला मजिस्ट्रेट, नोएडा द्वारा पारित आदेश, दिनांक 7 अप्रैल 2025 के तहत, मेसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा 30.08.2025 को निम्नलिखित अचल संपत्ति/सुरक्षित संपत्तिः प्लॉट नं. सी–9, आवासीय भूखंड, क्षेत्रफल 125.42 वर्ग मीटर यानी 150 वर्ग गज, जो 1500 वर्ग गज यानी 1254.15 वर्ग मीटर के भूमि क्षेत्र में से है, जो खाता सं. 00104, खसरा सं. 502मिन का हिस्सा है, और सिरसा, परगना दनकौर, तहसील और जिला– गौतम बुद्ध नगर, यूपी में स्थित है (इसके बाद "उक्त संपत्ति" विदित) जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैंःपूर्वः 18 फीट चौड़ी सड़क,उत्तरः 6 फीट चौड़ी गली, पश्चिमः भुवन का प्लॉट, दक्षिणः 12 फीट चौड़ी सड़क, का भौतिक कब्जा ले लिया गया है।

सेवा में, 1. श्री बनवारी लाल, 2. श्रीमती जावत्री देवी
दोनोंः कासना, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत–203202
लेन सं.: DL/NCU/NOIU/A000001355
जैसाकि, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश, दिनांक 29 मार्च 2025 के तहत, मेसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा 30.08. 2025 को निम्नलिखित अचल संपत्ति/सुरक्षित संपत्तिः प्लॉट नं. सी–9, आवासीय भूखंड, क्षेत्रफल 125.42 वर्ग मीटर यानी 150 वर्ग गज, जो 1500 वर्ग गज यानी 1254.15 वर्ग मीटर के भूमि क्षेत्र में से है, जो खाता सं. 00104, खसरा सं. 502मिन का हिस्सा है, और सिरसा, परगना दनकौर, तहसील और जिला– गौतम बुद्ध नगर, यूपी में स्थित है (इसके बाद "उक्त संपत्ति" विदित) जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैंः पूर्वः 18 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः 6 फीट चौड़ी गली, पश्चिमः भुवन का प्लॉट, दक्षिणः 12 फीट चौड़ी सड़क, का भौतिक कब्जा ले लिया गया है।

सेवा में, 1. श्री जीतू सिंह, 2.श्रीमती गीता जीतू
दोनोंः लाडपुरा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत, 203205
लेन सं.: DL/NCU/NOIU/A000001430
जैसाकि, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश, दिनांक 29 मार्च 2025 के तहत, मेसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा 30 .08. 2025 को निम्नलिखित अचल संपत्ति/सुरक्षितः प्लॉट नं. सी–9, आवासीय भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 125.42 वर्ग मीटर यानी 150 वर्ग गज है, जो 1500 वर्ग गज यानी 1254.15 वर्ग मीटर के भूमि क्षेत्र में है, जो खाता सं. 00104, खसरा सं. 502मिन का हिस्सा है, और सिरसा, परगना दनकौर, तहसील और जिला– गौतम बुद्ध नगर, यूपी में स्थित है (इसके बाद "उक्त संपत्ति" विदित) जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैंः पूर्वः 18 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः 6 फीट चौड़ी गली, पश्चिमः भुवन का प्लॉट, दक्षिणः 12 फीट चौड़ी सड़क, का भौतिक कब्जा ले लिया गया है।

एतद्वारा उधारकताओं और आम जनता को इस सूचना के माध्यम से आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार मेसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

दिनांकः 05.09.2025, स्थानः गाजियाबाद — अधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

प्रपत्र सं. - 03 [विनियम-13 (1) (अ)] देखें

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

प्रथम तल एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्पेस आबंटित)

वाद सं. : OA/1625/2018

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2अ) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19(4) के तहत सम्मन Exh. No.: **27694**

पंजाब नैशनल बैंक
बनाम
मिलि कम्यूनिकेशंस एवं अन्य

सेवा में,
(1) मिलि कम्युनिकेशंस एवं अन्य
मेसर्स मिलि कम्युनिकेशंस, दुकान संख्या 2, खांडसा रोड, शिव मंदिर के सामने, अनाज मंडी के पास, गुड़गांव, हरियाणा, श्री शेखर शर्मा के माध्यम से
(2) श्री शेखर शर्मा, पुत्र श्री बाल कृष्ण शर्मा
निवासी मकान संख्या 123/128, ज्योति पार्क, गुड़गांव, हरियाणा

सम्मन

जबकि, OA/1625/2018 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष **25/08/2025** को पेश किया गया था।
जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण **रु. 1476567/–** की ऋण वसूली के लिए आपके विरुद्ध दाखिल किए गए (ओए) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है (दस्तावेजों इत्यादि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है)।
अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के तहत आप प्रतिवादी(यों) को निम्न निर्देश भी दिया जाता है:
i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए ;
ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें ;
iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन का निस्तारण लम्बित रहने तक, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है ;
iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभूति हित सृजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे ;
v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे।
आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा दिनांक **30–09–2025 को पूर्वा. 10.30** बजे **रजिस्ट्रार** के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।
मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 29–08–2025 को दिया गया।

सम्मन जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

Karnataka Bank Ltd.

Your Family Bank. Across India.

परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा
8-बी, प्रथम तल, राजेन्द्र पार्क,
पूसा रोड,
नई दिल्ली-110060

फोन : 011-40591567 (एक्सटेंशन-240)
ई-मेल : delhiarm.kb@ktkbank.com
वेबसाइट : www.karnatakabank.com
CIN : L85110KA1924PLC001128

अचल संपत्ति की बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्ति की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सार्वजनिक रूप से जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो कि कर्जदाता, कर्नाटक बैंक लिमिटेड के पक्ष में बंधक / चार्ज की गई है, जिसका कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा 24.05. 2023को भौतिक कब्जा ले लिया गया है, उसे (1) श्री मोहम्मद शिमाब, पुत्र श्री मोहम्मद रफीक सिद्दीकी, (2) श्री मोहम्मद रफीक सिद्दीकी, पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ, दोनों नंबर 1 और नंबर 2 निवासीः #58/207/11, बाग आईनाबिबी, लखनऊ-226001, जो उधारकर्ता/गारंटर/सह-देनदार हैं, से कर्नाटक बैंक लि.,लखनऊ ब्रांच, प्लॉट नं. 118, बर्लिंगटन स्क्वायर, स्टेशन रोड, विधान सभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश , सुरक्षित लेनदार को देय पीएस टर्म लोन खाता सं. 4537001800005901 के तहत 07.08.2025 से भविष्य के ब्याज, साथ ही लागत सहित रुपये 24,48,728.68 (रुपये चौबीस लाख अड़तालीस हजार सात सौ अट्ठाईस और अड़सठ पैसे मात्र) की वसूली के लिये "जैसी है जहाँ है", "जैसी है", और "जो कुछ भी है" आधार पर 17.10.2025 को बिक्री की जायेगी

अचल संपत्ति का विवरणः

प्लॉट नं. 17 के हिस्से पर निर्मित पहली और दूसरी मंजिल के आवासीय मकान का वह पूरा हिस्सा और भाग, जिसका निगम सं. 429/1178/002 है, जो 750 वर्ग फीट में निर्मित है, साथ ही भूमि में 50% अविभाजित हिस्से के साथ-साथ उसी पर निर्मित 200 वर्ग फीट भूमि, रास्ते और सीढ़ियों के साथ, जो खसरा सं. 668, 669 और 685 का हिस्सा है, जो बरौरा हुसैन बारी, वार्ड - कन्हैया माधवपुर, लखनऊ में स्थित है, और श्री मोहम्मद शिमाब से संबंधित है। सीमाएँः पूर्वः सूफियान की दुकान, पश्चिमः डॉ मुमताज का घर, उत्तरः 25 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः प्लॉट नं. 16

आरक्षित मूल्य/ अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति बेची नहीं जा सकतीः 37,59,000.00 (रुपये सैंतीस लाख उनसठ हजार मात्र)।
जमा करने के लिए धरोहर राशिः 3,75,900.00 (रुपये तीन लाख पचहत्तर हजार नौ सौ मात्र)।
(उधारकर्ता/ बंधक कर्ता का ध्यान संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
(यह सूचना प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 9 के उप -नियम(1) के अंतर्गत उधारकर्ता/गारंटर को दी जा रही सूचना भी मानी जाएगी)
नीलामी की विस्तृत शर्तें और नियम कर्नाटक बैंक की वेबसाइट www.karnatakabank.com की लिंक पर "मेगा ई-ऑक्शन 17.10.2025 को" " शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध हैं। ई-नीलामी 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 17.10.2025 को 11:30 बजे से 12:30 बजे तक पोर्टल https://bankauctions.in/ के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता को https://bankauctions.in/ पर पंजीकरण कराना होगा और यूजर आईडी तथा तथा मैसर्स4क्लोजर, फ्लैट नं. 102, प्लॉट नं. 20, अमृता अपार्टमेंट्स, मोतीनगर, हैदराबाद-500018, **ई-मेल info@bankauctions.in से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण (संभावित रूप से 16.10.2025 को) पासवर्ड प्राप्त करना होगा।**

दिनांकः 04.09.2025
स्थानः लखनऊ

हस्ता/- मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
कर्नाटक बैंक लिमिटेड के लिए